न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 11/2019
दायर दिनांक :— 12/03/2019
निर्णय दिनांक :— 11/02/2020

अनवान

1. श्री उदयलाल पिता श्री भंवरलाल पालीवाल, निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द
2. भगवानलाल उर्फ भगवतीलाल पिता श्री भंवरलाल पालीवाल निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्री देवीलाल पिता श्री तुलसीराम पालीवाल, निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द
4. श्री परसराम पिता श्री तुलसीराम पालीवाल, निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द
5. श्री कैलाश पिता श्री तुलसीराम पालीवाल, निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द

—अपीलांट

बनाम

1. श्री नन्दलाल पिता श्री ताराचन्द आत्मज नगजीराम पालीवाल निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री पन्नालाल पिता श्री ताराचन्द आत्मज नगजीराम पालीवाल निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्री मगनलाल पिता श्री ताराचन्द आत्मज नगजीराम पालीवाल निवासी मण्डावर तहसील व जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 62 स्वीकृत दिनांक 14.12.1982 पारित नायब तहसीलदार कुंवारिया

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट के राजस्व ग्राम मण्डावर पटवार हल्का तासोल कला तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 654,655 व 584

कुल किता 3, कुल रकबा 01 बीघा 15 बिश्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 629 रकबा 5 बिश्वा आचाह, आराजी नम्बर 145 रकबा 4 बिश्वा गैर मुमकिन अपीलार्थी के दादा ताराचन्द पिता वेणीरामजी का स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि जरिये विरासत ताराचन्द के पुत्र एवं पौत्र अर्थात अपीलार्थी संख्या 1,2 व अपीलार्थी संख्या 3 से 5 के पिता तुलसीराम को प्राप्त हुई हैं तुलसीराम का स्वर्गवास होने से उक्त भूमि अपीलार्थी संख्या 3 से 5 को प्राप्त हुई हैं। लेकिन उक्त भूमि का नामान्तरण पटवारी हल्का की त्रुटि से गलत रूप से ताराचन्द पिता वेणीराम के स्थान पर ताराचन्द पिता नगजीराम के वारिसान के नाम पर स्वीकृत कर दिया गया जो विधि के विरूद्ध हैं। अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । रेस्पोडेन्टस् बावजूद सुचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के राजस्व ग्राम मण्डावर पटवार हल्का तासोल कला तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 654,655 व 584 कुल किता 3, कुल रकबा 01 बीघा 15 बिश्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 629 रकबा 5 बिश्वा आचाह, आराजी नम्बर 145 रकबा 4 बिश्वा भूमि अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी ताराचन्द पिता वेणीराम के नाम पर दर्ज थी। ताराचन्द पिता वेणीराम का स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.11.1978 को भरा गया, जिसकी जॉच 04.12.1978 को राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी तथा 14.12.1982 को नायब तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जो विधि के विपरीत हैं ताराचन्द पिता वेणीराम की विरासत की पटवारी हल्का द्वारा सही जॉच नहीं की और ताराचन्द वेणीराम के वारिसान के बजाय ताराचन्द पिता नगजीराम के वारिस विपक्षी संख्या 1स 3 के नाम पर ताराचन्द के पुत्र होना बताते हुए नामान्तरण दर्ज कर दिया और उसी अनुसार स्वीकृत कर दयिा गया जो विधि के विपरीत हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 ताराचन्द पिता वेणीराम के वारिस नहीं हैं। ताराचन्द के पुत्र विपक्षी संख्या 1 से 3 न होकर तुलसीराम व भंवरलाल थे तथा भंवरलाल का स्वर्गवास भी ताराचन्द से पूर्व ही हो चुका था। इस बात की पुष्टि नामान्तरण संख्या 9 दिनांक 17.03.1975 को ताराचन्द पिता वेणीराम की विरासत के नामान्तरण से होती है जिसके तहत ताराचन्द की कृषि भूमियां विरासत से ग्राम पंचायत द्वारा ताराचन्द के पुत्र तुलसीराम पिता ताराचन्द तथा पौत्र उदयलाल, भगवानलाल पिता भंवरलाल के नाम पर स्वीकृत किये गये नामान्तरण से होती हैं। मण्डावर में ही ताराचन्द पिता नगजीराम ब्राह्म्ण रहते थे जो विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके विरासत का नामान्तरण पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 50 भरकर नायब तहसीलदार कुंवारिया द्वारा दिनांक 29.10.1976 को स्वीकृत किया गया हैं। उक्त नामान्तरण ताराचन्द पिता नगजीराम के बजाय

विरासत से ताराचन्द के पुत्र नंदलाल, पन्नालाल, मगनलाल पिता ताराचन्द के नाम पर दर्ज हुआ हैं। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के दादा की भूमि को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को पुत्र बताकर विरासत का जो नामान्तकरण स्वीकृत किया गया हैं, वह विधि के विरूद्ध हैं। अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 14.12.1982 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कुंवारिया द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि उक्त नामान्तकरण संख्या 62 में अकिंत ताराचन्द पिता वेणीराम के वारिस नन्दलाल पन्नालाल मगनलाल पिता ताराचन्द नहीं होकर उक्त वारिसान ताराचन्द पिता नगजीराम के हैं। जबकि ताराचन्द पिता वेणीराम के वारिस उदयलाल, भगवानलाल पिता भंवरलाल, देवीलाल, कैलाश, रोडीबाई पिता तुलसीराम, नर्बदाबाई पत्नी स्व. तुलसीराम, चतरभुज अम्बाबाई मीठूबाई शंकरलाल नारायणीबाई माता चतरूबाई हैं। बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार, कुंवारिया की जॉच रिपोर्ट के आधार पर मै यह उचित समझता हूँ कि स्व0 ताराचन्द पिता वेणीराम की मृत्यु के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसान की जाचं किये एवं बिना सुने नामान्तरकरण खोला गया है। जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

:– आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार कुंवारिया द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 62 स्वीकृत दिनांक 14.12.1982 निरस्त किया जाता हैं। तथा प्रकरण इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि मृतक ताराचन्द पिता वेणीराम के समस्त विधिक वारिसानों की जाँच कर उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर हुए पुनः विधि सम्मत नामान्तकरण प्रक्रिया अमल में लाई जावें।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 11..02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द